

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT LAHAUL & SPITI (H.P.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

23

A meeting of the District Level Committee of Lahaul & Spiti District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /Chairpersonship of Mr. Vivek Bhatia Deputy Commissioner Lahaul & Spiti District on 6/03/2017 at 03.00 PM at Keylong (Place) in which the application (s) of Gram Sabha, claiming right in Khasra No Tukda No.1 & 2 kita 2 total area 0.99.94 Hectare in Mohal Tandi at Ribling to CSIR-IHBT Center for high Altitude Biology at Tandi DIET. Forest areas under FRA2006, duly processed and recommended by the Sub Divisional Level Committee, Lahaul were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted.

Sr. No	Name of applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		Nil	

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected


Sr. No	Name of applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		Nil	

OR

As informed by SDO © Lahaul, no application was received from Tandi/Tholong Gram Sabha claiming right in Khasra No Tukda No.1 & 2 kita 2 total area 0.99.94 in Mohal Tandi at Ribling forest area, proposed to be diverted under FCA, 1980, to CSIR-IHBT Center for high Altitude Biology at Tandi DIET.

Place: Keylong

Date: 6-03 -2017


DC -cum-Chairman/Chairperson
District Level Committee,

FORM-II
(For projects other than linear projects)
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR LAHAUL & SPITI DISTRICT.

No 264 /SK(E) Dated 6-03-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that **0.99.94 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **CSIR-IHBT Center for high Altitude Biology at Tandi DIET** (purpose for diversion of forest land) in Lahaul & Spiti District falls within jurisdiction of Gram Sabha Tandi & Tholong in Tehsil Lahaul.

It is further certified that:-

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.99.94 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committees (s), Gram Sabha (s), Sub Division level Committee(s) and District level Committee are enclosed as **annexure A-1 to A-4 annexure**
- b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in Hindi / local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- c) Each of the concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and detail of proposed diversion. A copy of certificate issued by the **Gram Sabha Tandi/Tholong** village is enclosed as **annexure B-1**.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e) The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given consent to it.
- f) The rights of Primitive tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl:- As above


(Vivek Bhatia) IAS
District Collector,
Lahaul & Spiti District

आज दिनांक 02-03-2017 को श्री सन्नी शर्मा (हि0 प्र0से0) उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष उपमण्डल स्तर समिति की अध्यक्षता में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006/2012 के सन्दर्भ में बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नलिखित उपमण्डल स्तर समिति केलंग के सदस्यगण मौजूद थे ।

1. श्री होशियार सिंह नायब तहसीलदार सदस्य सचिव ।
2. श्री अमीर चन्द प्रभारी वन रेंज अधिकारी केलंग ।
3. श्री मेघ सिंह पुत्र श्री राम सिंह गांव व डा0 गोशाल सदस्य वी0डी0सी0 वार्ड नं0- 10
4. श्रीमति डोलमा पत्नी श्री झुरमेद दोरजे गांव व डा0 यूरनाथ सदस्य वी0डी0सी0 वार्ड नं0- 11

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों (एस0 डी0 एल0 सी0) की बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया । तत्पश्चात अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006/2012 के अन्तर्गत ग्राम सभा तान्दी से प्राप्त CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Tandi DIET के लिए चयनित भूमि प्रकरण पर निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई :-

उपरोक्त दावा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006/2012 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तान्दी / ठोलंग से SDLC कमेटी को CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Tandi DIET जिला लाहौल एवं स्पिति का पारित होने वारे प्राप्त हुआ है ।

1. Tranfering land from Govt. land at near to Tandi DIET to CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Tandi DIET हेतु :- गाँव तान्दी में CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Tandi DIET में निर्माण हेतु प्रस्तावित टुकड़ा नम्बर 1 व 2 रकबा तादादी 12-07-00 वीघा (0-99-94) हैक्टर वन भूमि का दावा प्राप्त हुआ है । एस0 डी0 एल0 सी0 कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस दावे हेतु वन अधिकार समिति तान्दी व ठोलंग की प्रस्तावना अनुसूचि-I, II व अनुसूचि -V प्राप्त हुए हैं । जिसमें कमेटी द्वारा मंजूरी हेतु अपनी सहमति जताई है, उपमण्डल समिति द्वारा प्रकरण की जांच की गई तथा प्रकरण नवीनतम प्रपत्र पर प्रेषित है । जिस अनुसूचि में वन अधिकार समिति तान्दी व ठोलंग ने अनुसूचि -II मे प्रस्ताव पारित किया है कि भूमि मे कोई वन अधिकार के दावे लंवित नही है अनुसूचि -V मे ग्राम

समा तान्दी व ठोलंग ने 48/60 मतो से प्रस्ताव पारित किया है कि CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Tandi DIET में निर्माण हेतु प्रस्तावित टुकड़ा नम्बर 1 व 2 रकबा क़ादादी 12-07-00 वीघा (0-99-94) हैक्टयर वन भूमि के हस्तांतरण में अपनी अनापति प्रेषित की है। अतः मामले की छानवीन करने पर उपमण्डल वन अधिकार समितियों ने CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Tandi diet में निर्माण हेतु प्रस्तावित टुकड़ा नम्बर 1 व 2 रकबा तादादी 12-07-00 वीघा (0-99-94) हैक्टयर वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत हस्तांतरित होने वारे अपनी संस्तुति देने का निर्णय लेते हुए प्रकरण डी0 एल0 सी0 को भेजने की सहमति दी है।

अन्त में बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न किया गया।

अध्यक्ष एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0)
उप मण्डलीय स्तर कमेटी लाहौल।

पृष्ठाकन सख्या 261-70/का0का0 केलंग दिनांक 3, मार्च, 2017
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला स्तर कमेटी को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप मण्डल अधिकारी ना0 लाहौल को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. Scientist CSIR-IHBT Centre for high Altitude Biology at Ribling P.O. Tandi District Lahoul & Spiti को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. जिला पंचायत अधिकारी लाहौल को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. ग्राम पंचायत तान्दी को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. सचिव वन अधिकार कमेटी तान्दी व ठोलोंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. समस्त सचिव सरकारी/गैर सरकारी सदस्य गण को सूचनार्थ प्रेषित है।

अध्यक्ष एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0)
उप मण्डलीय स्तर कमेटी लाहौल।

5257

69

113

234

Annexure-II

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Lahaul at Keylong
DISTRICT Lahaul & Spiti (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers [Recognition of Rights] Act (FRA) 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of Lahaul Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms Sunny Sharma SDO(Civil) Lahaul or 2-3-2017 at 11.30 AM/PM at Keylong (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of _____ Gram Sabha, claiming rights in _____ forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the Tandi Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

Tandi

OR

As informed by _____ Gram Sabha, no application was received claiming rights in forest area: Proposed forest area 12-7-00 Bigha (0-99-94) Heedre for CSIR- IHBCT Centre for High Altitude Biology at Tandi.

Place:

Date

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Lahaul at KEYLONG

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Before the Sub Divisional Level Committee Forest Right Committee Lahaul Distt Lahaul & Spiti






Dated 02-03-2017

- 1. Transferring land from Government land at near to Tandi Diet to CSIR-IHBT Centre for High Altitude Biology at Tandi Diet District Lahaul & Spiti.


ORDER

This matter was taken up by the Committee. After perusal of record file, it was observed that the matter fulfill all the requirements as demanded by the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act 2006.

Therefore, Committee has decided to recommend the diversion of forest land for the above mentioned purpose.

Member-1 Member-11 Member-111 Member-1V Member-V


 Chairman SDLC

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

प्रस्ताव संख्या.....

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा नांदे की बैठक आज दिनांक 2-10-2016
को 11.00 बजे, स्थान नांदे में श्री/श्रीमति.....

..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें नांदे गांव/गावों

के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....

जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें.....
** साई एस भाई भाई के निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अवन निर्माण 12.7 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की

मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति CSIR CEHAB का जंगल/वन क्षेत्र में.....
नांदे के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया।
तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान नांदे
दिनांक 2-10-2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा नांदे
अध्यक्ष FRC नांदे पंचायत

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

प्रस्ताव संख्या.....

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा.....

तान्दी

की बैठक आज दिनांक 2-10-2016

को.....

11.00

बजे, स्थान.....

तान्दी

में श्री / श्रीमति.....

गांव / गावों

की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....

के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....

जंगल / वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें.....

** सी एस आइ आर उच्च तृतीया केन्द्र भवन निर्माण के लिए 12-7-2016 हैक्टियर वन के उपयोग भूमि की

मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री / श्रीमति CSIR - CEHAB का जंगल / वन क्षेत्र में.....

तान्दी

के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया / सही नहीं पाया गया। तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती हैं / तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान.....

तान्दी

दिनांक.....

2-10-2016

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.....

अजीत कुमार

अध्यक्ष F.R.E तान्दी पंचायत

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (तान्दी) डोलांग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 71

दिनांक 02-10-2016

ग्राम सभा तान्दी की बैठक आज दिनांक 02-10-2016 को

11 बजे, स्थान तान्दी में श्री/श्रीमति

की अध्यक्षता में की गई जिसमें डोलांग गांव/गावों के अनुसूचित

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत डोलांग जंगल/वन क्षेत्र

से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की संस्तुति के उपरान्त प्राप्त हुए आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें सी.एस.आर. उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए

12.7 हेक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह ग्राम सभा इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति CSIR उच्च न्यायालय का जंगल/वन क्षेत्र में तान्दी

के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती

है/तदनुसार ग्राम सभा इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान तान्दी

दिनांक 02/10/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत

जिला लाहौर रिपरी (डिप्टी)

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

गाँव - डौलंग

नर - 33 मुख्य

नारी (लक्ष्मी) मुख्य - 15

025

114

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

विकास खण्ड

(नान्दी) डौलंग

लाला जिला

245

(हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति

48 मुख्य / कुल 43 घर मुख्य

दिनांक 02/10/2016

प्रस्ताव संख्या 01

विषय:

उच्च तुंगता जीव विज्ञान विभाग/संस्था को

विभाग/संस्था को

सी.एस.आई.आर. में

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

12.7 वा. वन भूमि के

ग्राम सभा

10-2016 को

(नान्दी) डौलंग

बजे, स्थान

की बैठक

आज दिनांक 02

को गई, जिसमें

विज्ञान के निर्माण हेतु

12.7 वा. वन भूमि के

उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

विभाग/संस्था को

सी.एस.आई.आर. में

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 12.7 वा. वन भूमि को सी.एस.आई.आर. में निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा 02-10-2016 की सहमति दी जाती है।

स्थान

02/10/2016

दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत

जिला लाला सिपति (हि0प्र0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....नान्दी
प्रतिलिपि प्रस्तावप्रस्ताव संख्या.....01दिनांक.....02/10/2016

ग्राम सभा.....नान्दी की बैठक आज दिनांक 02/10/2016 को 11
बजे, स्थान.....नान्दी में श्री/श्रीमति उत्पल कुमारी की अध्यक्षता में
की गई जिसमें..... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....बोलांग जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें..... विभाग द्वारा सी.एस.आर.आर.आर.आर. निर्माण के लिए 12.7 हेक्टर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>बोलांग</u>	<u>नान्दी</u>	<u>डास्ट</u>
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>बोलांग</u>
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बोलांग जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान.....नान्दी
दिनांक.....02/10/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

ग्राम पंचायत नान्दी

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(517)

ANNEXURE-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा (तान्वी) ठोला
विकास खण्ड लवाहाल जिला लाहाल (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2/10/2016

गणपूर्ति 48 /

प्रस्ताव संख्या 0 /

विषय: सी० एस० आर० आर० उच्च लोता विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु जीव विज्ञान केंद्र
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 12.7 बीघा हैक्टेयर वन भूमि
के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा (तान्वी) ठोला की बैठक आज दिनांक
02/10/2016 को 11 बजे, स्थान (तान्वी) ठोला
में की गई, जिसमें विभाग/संस्था को सी० एस० आर० आर० उच्च लोता
के निर्माण हेतु जीव विज्ञान केंद्र जंगल/वन क्षेत्र में
प्रस्तावित 12.7 बीघा हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर
चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रावधान पूर्ण की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 12.7 बीघा हैक्टेयर वन भूमि को
CSIR उच्च लोता जीव विज्ञान केंद्र निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा (तान्वी) ठोला
की सहमति दी जाती है।


स्थान तानवी
दिनांक 02/10/2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा तानवी

NON AVAILABILITY CERTIFICATE

For requirement of non suitable alternative Forest Land is available for the construction of CSIR-IHBT Centre for High Altitude Biology at Tandi, Near Tandi DIET Office, P.O.-Tandi, in Tehsil Lahaul, District Lahaul & Spiti Himachal Pradesh for diversion of Forest Land area measuring 0-99-94 Hect. Situated in Mohal, Tandi, Near DIET office Tehsil Lahaul, District Lahaul & Spiti (H.P.) is essential and cannot be avoided. The detail of forest land is as under:-

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Mohal	Khasra No.	Total Area in Hect.
1	Lahaul	Tandi near DIET office	Tukra no. I = 7-07-14 Tukra no. II = 4-19-03 Total = 12-06-17 or @ 12-7-0 bigha	12-07-00


Deputy Commissioner,
District Lahaul & Spiti.

क्रमांक 271 / का0का0

प्रेषक,

नायब तहसीलदार एवं सदस्य सचिव,
उपमण्डलीय स्तर कमेटी लाहौल।

प्रेषित,

उपायुक्त,
जिला लाहौल एवं स्पिति।
दिनांक केलंग दिनांक 03 मार्च, 2017

विषय:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 वारे ।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि गाँव तान्दी में CSIR-IHBT Center for high Altitude Biology at Tandi DIET में निर्माण हेतु प्रस्तावित टुकड़ा नम्बर 1 व 2 रकबा तादादी 12-07-00 वीघा (0-99-94) हैक्टर वन भूमि उपयोग हेतु दावा प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत उपमण्डल स्तर कमेटी लाहौल ने एक प्रकरण डी0एल0सी0 को भेजने की सहमति व्यक्त की है ।

अतः मूल राजस्व दस्तावेज भूमि हस्तांतरण हेतु महोदय, की सेवा मे आगामी आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है ।

सलग्न- यथोपरि / मूल फाइल

भवदीय,

- 

नायब तहसीलदार एवं सदस्य सचिव
उपमण्डलीय स्तर कमेटी लाहौल